

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

पन्नाराम (पहेरा राम) बनाम तहसीलदार, सीकर/25
 किस्म मुकदमा मु.नं. 257 वर्ष 2025
 इजाजत

दिनांक	आज्ञा - पत्र
11/9/25	<p>वकील प्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 97/2022 बउनवान पन्नाराम (महेन्द्र कुमार) आदि बनाम जैसाराम आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 21.07.2023 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर</p>
25/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकाल उभयपक्ष उपस्थित ? P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व भाटेशानसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो</p>
14/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ डिक्रीदार उप.। पत्रावली वास्ते ई रिपोर्ट डि० 27/11/25 को पेश हो</p>
27/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ डिक्रीदार उप.। पत्रावली वास्ते ई रिपोर्ट डि० 17/12/25 को पेश हो</p>
17/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार उप.। प्रकरण इजराय में वर्गित निर्भय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रावली भू.अं 25/4186 डि० 17/11/25 के तहत पालना की जाऊ पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में भागे गई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही से इसी तरह पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फंसल शुमाड होशु बाद वकाली दाखिल दफतल हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

